



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062020-220156
CG-DL-E-25062020-220156

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2020/आषाढ़ 4, 1942

No. 312]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2020/ASHADHA 4, 1942

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

सा.का.नि. 411(अ).—केंद्रीय सरकार रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रासायनिक आयुध अभिसमय नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- रासायनिक आयुध अभिसमय नियम, 2016 में, नियम 9 में, "शीर्षक II निरीक्षण", उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) निरीक्षण दल को केवल नई दिल्ली या मुंबई से भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने और भारत छोड़ने की अनुज्ञा होगी: परंतु प्राधिकरण केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के साथ प्रवेश या निकास के किसी अन्य बिंदु को परिवर्तन या जोड़ेगा।"

[फा. सं. सी-I-40014/2/2020-सीपीसी]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 834(अ), तारीख 30 अगस्त, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 30 अगस्त, 2016 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2020

G.S.R. 411(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Chemical Weapons Convention Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Chemical Weapons Convention (Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Chemical Weapons Convention Rules, 2016, in rule 9, under the heading “II. Inspections”, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) The inspection team shall be allowed to enter and leave the territory of India only through New Delhi or Mumbai:

Provided that the Authority shall change or add any other point of entry or exit with the prior permission of the Central Government.”.

[F. No. C-I-40014/2/2020-CHEM. I-CPC]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section III, Sub-section (i) dated the 30th August, 2016 *vide* notification number G.S.R. 834(E), dated the 30th August, 2016.